# कार्यालय नगर पर्षद, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 539 दिनांक : 6/5/13

सेवा में,

(P.O.A.H) Mr.Jitendra Kr.Ujain S/o Sri Maheshwar Singh
Mr.Santosh Kr.Rai S/o Sri Jugal Kishor Rai
(L.O)Mr.Chandrachur Singh S/o Late Panchi Lal Singh

महाशय,

प्लॉट सं० (N) 780,(O)1290 खाता सं०. (N) 199 (O) 210 मौजा. Dindli थाना सं० 128 पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में Gr.(Parking +1st to 4th floor (Residential) के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:–

1. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जबतक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
2. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
3. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जायेगा।
4. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर पर्षद, आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लींथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा।
5. निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्त्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
7. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। यदि अग्निशमन विभाग द्वारा कभी कोई विशेष निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन करना होगा।
8. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
9. पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। Main Swear से connection सुनिश्चित करना होगा। Sewerage plant स्थापित करने पर सार्वजनिक जल श्रोत (यथा जल उदगम, जलधारा, तालाब आदि) का पानी दुषित न हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
10. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ नगर पर्ष.द आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
11. आदित्यपुर बिल्डंग बाईलॉज एवं झारखण्ड अपार्टमेंन्ट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
12. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरन देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
13. भवन प्लान की स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को उपरोक्त शर्तो के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
14. विकासकर्त्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2005 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी।
15. जमीन संबंधी किसी तरह का विवाद (यथा छोटनानागपुर कास्तकारी अधिनियम, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
16. भवन पर तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी, Executive Officer
नगर पर्षद, आदित्यपुर Municipal Council, Adityapur

6/5/13

पत्र संख्या- 508

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
झारखंड राज्य आवास बोर्ड, जमशेदपुर ।

प्रेषक,

श्री बी० के० लाल,
कार्यपालक अभियंता ।

सेवा में,

श्री चन्द्रचूड़ सिंह
बैंक कोलोनी
आदित्यपुर ।

जमशेदपुर, दिनांक- 19/03/2010

विषय:- आदित्यपुर डिन्डली वार्ड सं०-5 के खाता सं०-210 (पुराना), नया 199 तथा प्लॉट सं०-1290 पुराना, नया 782 का निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक से सम्बन्धीत श्री चन्द्र चूड़ सिंह द्वारा धारित भूमि जो मौजा-डिन्डली आदित्यपुर थाना सं०- 129 के खाता सं०-210 (पुराना) एवं प्लॉट सं०- 1290 (पुराना) के सम्बन्ध में कहना है कि उक्त भूमि आवास बोर्ड द्वारा अर्जित भूमि के बाहर है । अर्थात आवास बोर्ड द्वारा अर्जित नहीं है ।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड
जमशेदपुर